क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3294/OA No 938/18/17 दिनांक 2-9-19

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 26.04.2019 in matter of OA No. 938/2018, Vipin Goyal Versus State of Uttar Pradesh .

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 26.04.2019 in matter of OA No. 938/2018, Vipin Goyal Versus State of Uttar Pradesh, the compliance report is submitted for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

Scanned by CamScanner

Action taken report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 26.04.2019 in matter of OA No. 938/2018, Vipin Goyal Versus State of Uttar Pradesh .

In reference to the above, Hon'ble National Green Tribunal passed the following order on 26.04.2019 in matter of OA No. 938/2018, Vipin Goyal Versus State of Uttar Pradesh:-

" *The question for consideration is the remedial measures against the water pollution caused by cloth dyeing and printing industry at M.G Road, Industrial Area Block, Dhaulana, District Hapur, Uttar Pradesh.*

An action taken report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB). Accordingly, report furnished vide email dated 20.01.2019 acknowledges that industrial effluents and sewage are being discharged into the drain connecting Hindon River which is broken at many places. Overflow of the effluents is collected in vacant plots.

Learned counsel for the UPPCB states that after the above report was submitted, there is further development that UPSIDC has initiated remedial action on being asked by UPPCB. The UPPCB may monitor the compliance of the environmental norms and furnish a further report to this Tribunal after three months by email at ngt.filing@gmail.com.

Learned counsel for the UPPCB further states that this problem is faced by most of the industrial areas in Uttar Pradesh. When industrial areas are set up, requisite infrastructure for scientific discharge of effluents is not being developed.

Scanned by CamScanner

Let this aspect be considered by the Chief Secretary, Uttar Pradesh and remedial measures be taken in respect of areas already set up as well as the areas which may be set up later.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Uttar Pradesh by email. List for further consideration on 04.09.2019. ………….."

In continuance to the previous action taken report submitted by UPPCB to the Hon'ble Tribunal vide email dated 20.01.2019 and in compliance to the above said order , Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad issued letters to Regional Manager, UPSIDA, Hapur vide letter on 4.6.2019 and a reminder letter was sent on 27.7.2019 to submit the compliance report in reference to order passed by Hon'ble Tribunal dated 26.04.2019 along with report on remedial action carried out by UPSIDA in M.G. Road Industrial Area, Dhaulana, Hapur. The letter dated 4.6.2019 is annexed as ***Annexure 1*** and reminder letter dated 27.7.2019 is annexed as ***Annexure* 2.**

Further, Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad vide letter dated 17.7.2019 issued letter to Regional Manager, UPSIDA, Hapur for providing action plan on cleaning and de silting of drains/ storm water drain/ river under their jurisdiction so as to maintain flow of stream. Letter dated 17.7.2019 is annexed as ***Annexure* 3.**

Scanned by CamScanner

Action Taken by UPSIDA, Hapur

Regional Manager, UPSIDA, Hapur submitted reply to the above stated letters vide letter dated 22.8.2019 enclosing therewith report of Block Office, Construction Division, Phase 2, which is annexed as ***Annexure*** 4. As per the report received, the design of an internal industrial drain in any industrial area is designed for eventual discharge into the industrial storm water drain by UPSEDA and the carrying capacity of drains is designed as per the carrying/conveyance capacity of the receiving industrial storm water drain. Accordingly, it has been informed that the drainage system of the M. G Road Industrial area is also designed on same premise. The effluent of M.G. Road Industrial Area Phase- 1, Hapur flows through the internal drainage system of the industrial area into the RCC made Master Drain made by UPSEDA , which finally merges into the irrigation drain of irrigation department. Also, it is reported that Village Shekupur Khichra is situated at the boundary of the M.G. Road Industrial area and the waste water from the said village is also discharged into the industrial area, which fills into the open plots of the industrial area and also causes obstruction to the discharge and flow in drains in industrial area. Blockage/partial demolition of the drainage network done by the locals of the village has caused obstruction in the drainage system of the industrial area due to which effluent has filled in the park no 3,4 and 6 of the industrial area as there is no other outlet available. It has been informed that the cleaning of the drain is now being carried out by manual labors and JCB's to remove the blockages of the drains. The work shall be completed soon, so that no effluent is filled in the vacant plots in the area.

Scanned by CamScanner

As far as the textile dying and bleaching units of the said area are concerned, UPSEDA has informed that the industries are allocated the plots with a condition that the industries shall discharge only permissible amount of effluent as per norms and laid down by the Board and concerned departments shall take action against the industries not complying with the condition. It has also been reported that at some places effluent has been found blackish and with foul smell which suggests that few industries are not complying with the norms.

Monitoring of compliance norms by UPPCB :-

UPPCB in its survey of said area has identified 09 effluent/emission generating industries not complying with the norms. Out of 09 industries, 07 industries have been issued closure orders by UPPCB and process of issuance of closure order against remaining 02 industries is also under process. Following is the status and action report :-

S.No.	Name & Address of Unit	Production capacity	Action taken against defaulter	Latest Action
1.	M/s Sharma Electric, Plot no G-79, Phase 1, M.G. Road Industrial area, Hapur	Electroplating and nickel plating	Closure order issued	Electricity connection disconnected
2.	Two Brothers Beverage Pvt Ltd, 607, 608, Phase 2, M G Road Industrial Area, Hapur	Soft Drinks	Closure order issued	Electricity connection disconnected
3	M/s. B.D.V.K. Polymers, F-367, 368, Phase-1, UPSIDC,	Fuel Oil, Carbon	Closure order issued	Electricity connection disconnected and unit closed

Scanned by CamScanner

	M.G. Road Industrial area, Hapur	Black, Steel Wire		
4	M/s. Uniq Engeers, G-482, 483, Phase-2, UPSIDC, M.G. Road Industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Closure order issued	Electricity connection disconnected and unit closed
5	M/s. Yash Enterprises, F-668 to 675, Phase-1, UPSIDC, M.G. Road Industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Closure order issued	Electricity connection disconnected and unit closed
6	M/s. Centra Mac, Plot No-676 to 678, Phase-1, UPSIDC, M.G. Road Industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Closure order issued	Electricity connection disconnected and unit closed. Recommendation to impose EC of Rs. 4,12,500/- is also under consideration.
7	M/s. S.I. Assoiciates, F-204 & 207, M.G. Road industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Closure order issued	Electricity connection disconnected and unit closed
8	M/s. Himani Polymers, B-21, Phase-1, UPSIDC, M.G. Road Industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Recommendation sent to HO for closure order	Recommendation sent to HO for closure order
9	M/s I.S. Enterprises F-443 & 444, Phase-1 UPSIDC, M.G. Road industrial area, Hapur	Fuel Oil, Carbon Black, Steel Wire	Recommendation sent to HO for closure order	Recommendation sent to HO for closure order

Besides this, the status of textile/cloth dyeing and bleaching industries in the area under consideration is as below.

Scanned by CamScanner

Status of Textile units situated in M.G Road Industrial Area, Hapur:-

No of Units	Units Operational	Units Closed	No of units achieving Norms	No of units not achieving Norms	Action taken
7	5	2	5	2	02 units have been issued closure order by Board and the unit is closed presently.

Board vide its letter dated 22nd August, 2019 has issued directions to all seven textile industries in the concerned area to install Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) and flow meter to monitor quantity and quality of effluents being discharged, copy of notice issued is annexed as *Annexure* 5.

Status of discharge of industrial and domestic effluent :-

UPPCB carried out survey of the drainage system in said industrial area on 22nd August, 2019 along with Shri Shyam Gopal, Deputy Manager, UPSIDC and Shri Satish Chaudhary, Assistant Manager (Civil) and it was found that drainage network in Phase III industrial area has been blocked and partially demolished causing obstruction in the flow from the industrial area due to which effluent is eventually getting filled in parks of the industrial area. Further, UPPCB has done survey of Phase I area and it has been observed that the level of the drain in Phase I industrial area is higher than the industrial area level due to which the overflow of mixed effluent from the drain is being collected in the vacant plots. During the said inspection sample of stagnant water was collected in Phase -3 MG Road

Scanned by CamScanner

industrial area at the point of blockage. From the report which is annexed as *Annexure 6* of the report, it is evident that domestic as well as industrial water is getting collected in the area due to blockage of drain. A letter has been sent to Regional Manager, UPSIDC informing her about present status on site and directions have been issued to comply with directions issued by Hon'ble Tribunal failing which environmental compensation shall be imposed as per Central Pollution Control Board's guidelines, copy of said letter is annexed as *Annexure 7.*

The report in the aforesaid matter is put up for your kind perusal and necessary action please.

(Ranjeet Singh)
Junior Engineer

(B.K. Singh)
Assistant Environment Engineer

Regional Officer

Scanned by CamScanner

ANNEXURE – 1

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 1494/OA No 938/18/19 दिनांक 4-6-19

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
जनपद हापुड़।

विषयः मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे दिनांक 26.04.2019 को मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति/अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे अनुपालन आख्या 26, जुलाई–2019 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल की जा सकें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, धौलाना, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

E. Letters 2019 doc (P2)

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

ANNEXURE-2

संदर्भ संख्या : 2500/OA No 938/18/19 दिनांक 27-7-19

सेवा मे,   "अनुस्मारक/मा0एनजीटी प्रकरण/महत्वपूर्ण"

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
हापुड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1494/ओ0ए0नं–938/18/19 दिनांक 04.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेशों के अनुक्रम में अद्यतन स्थिति/अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय मे उपलब्ध नही हो पायी है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये थे कि एम0जी0 रोड औधोगिक क्षेत्र, धौलाना हापुड़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा प्रारम्भ किये गये रेमीडियल एक्शन एवं कृत कार्यवाही के सम्बन्ध मे आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष 03 माह मे प्रस्तुत की जानी है परन्तु आप द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नही कराये जाने से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष पूर्ण अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेशों के अनुक्रम में अद्यतन स्थिति/अनुपालन आख्या इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-3

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 2169/ रूप्रनियमा/19 दिनांक 17.7.19

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. उप–आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, राजनगर गाजियाबाद।

विषयः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेशों मे घरेलू एवं औधोगिक क्षेत्रों मे स्थापित जल निकासी हेतु नालों का रख–रखाव समुचित रूप से न किए जाने के सम्बन्ध में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये है व अपेक्षा की गयी है कि प्राधिकरण/निकाय द्वारा इनका रख–रखाव इस प्रकार किया जायें कि जल के प्रवाह मे किसी प्रकार की बाधा आदि न आऐं तथा जल का भराव आस–पास के क्षेत्र न हों जिससे के उक्त से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सकें।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधिनियम 24(बी) मे वर्णित है कि–
"...24(b)No person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences..........."

उक्त के अनुपालन हेतु आपसे अपेक्षा है कि जनपद में समस्त नालों/स्ट्रोम वाटर ड्रेन/नहर के प्रवाह को बॉधित कर रहें कूड़े–कचरे आदि को नालों से साफ किये जाने हेतु व इनकी डी–स्लिटिंग हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार सम्बन्धित को कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, साथ ही सम्बन्धित को कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-4

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

REGIONAL OFFICE :
U.P.S.I.D.A.
C-2, 4th Floor,
Mahaluxmi Mall,
RDC, Raj Nagar,
GHAZIABAD(UP)
Phone : 2821103
Fax : 2822157
Website : www.upsidc.com
CIN – U26960UP1961SGC002834

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय – उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16,
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

स्पीड पोस्ट

संदर्भ संख्या 1790/806 /एसआईडीए/आरओजी/ दिनांक 27/8/2019

विषय :– माननीय एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 938/2018 विपीन गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1494 दिनांक 27.08.2019 एवं पत्र संख्या 2400 दिनांक 27.08.2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित वाद में उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0 पक्षकार नहीं हैं अपितु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को उपचारात्मक कार्यवाही करने हेतु कहा गया हैं। इस सम्बन्ध में कृपया यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के खण्डीय कार्यालय निर्माण खण्ड–2 के पत्र संख्या 868 दिनांक 31.01.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो कि आपको प्रेषित तथा अद्योहस्ताक्षरी को प्रति पृष्ठांकित की गयी है जिसके माध्यम से उक्त वाद के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है। अवगत कराना है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा मसूरी गुलावठी रोड की प्रदूषणकारी इकाईयों को नोटिस निर्गत किये जा चुके है जिनकी प्रतियॉ आपको भी अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है। जिन आवंटियों द्वारा उक्त नोटिसों पर कार्यवाही नहीं की गयी है उनके भूखण्ड निरस्त किये जाने हेतु उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0 मुख्यालय, कानपुर को प्रकरण संदर्भित किये जा रहे है।

भवदीया,

(स्मिता सिंह)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

संदर्भ संख्या /एसआईडीए/आरओजी/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, धौलाना, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी(औ0क्षे0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, ए–1/4, लखनपुर, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्मिता सिंह)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

उप पर्यावरण अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर-5
कासना, ग्रेटर नोएडा-201
जिला-गौतमबुद्ध नगर
दूरभाष : 0120-2341224
Email : cd2@upsidc
वेब : www.upsidc.c

संदर्भ संख्या......................................./एसआईडीसी/ईई/सी0डी0-II/ दिनांक :

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 नं0-938/2018 विपिन गोयल बनाम राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय प्रवन्धक, गाजियांवाद को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी महोदय सहित मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को पृष्ठाकित अपन पत्र 3491/ओ0ए0-938/2018/2019 दिनांक 17.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिर प्रपत्रों के साथ श्री विपिन गोयल के पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुला फेज-प्रथम, जनपद-हापुड में स्थापित डाईग एवं ब्लीचिंग इकाईयों/कपडों की रंगाई एवं छपाई के निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में है।

तत्सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निगम (यूपीसीडा) द्वारा विकसित किये जाने वाले औद्योगिक ड्रेन औद्योगिक क्षेत्र के स्टार्म वॉटर के निस्तारण के लिये डिजाइन्ड होती है तथा इसके अनुसार ही उ निकासी की क्षमता होती है। औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज-प्रथम की ड्रेनेज नेटवर्क भी त स्टार्म वाटर की निकासी के लिये निर्मित है। औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज-प्रथम का उ आन्तरिक ड्रेनेज सिस्टम से होकर निगम द्वारा निर्मित पक्के मास्टर ड्रेन के माध्यम से सिंचाई विभाग ड्रेन में अन्तिम रूप से निस्तारित होता है। यहां यह भी सूच्य है कि औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गु फेज-प्रथम की सीमा पर बसे शेखपुर खिचरा गांव का वेस्ट वॉटर भी फेज-प्रथम की ओर छोड दि जोकि खाली पडे भूखण्डों मे जमा होता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज जलनिकासी भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाती है। ड्रेनेज नेटवर्क में ब्लॉकेज/अवरोध/आशि क्षतिग्रस्त होने तथा मास्टर ड्रेन के अन्तिम किनारे के पास ग्रामवासियों द्वारा मास्टर ड्रेन को प्रायः ब्लॉ जाने के कारण जल/उत्प्रवाह निकासी प्रभावित हुयी है एवं औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फे पार्क सं0 3, 4 व 6 में उत्प्रवाह इकट्ठा हो गया है।

वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज-प्रथन की नालियों के ब्लॉकेज को हटाने के लिए जे0सी0बी0 एवं लेवर के माध्यम से ड्रेन सफाई का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पू जायेगा, ताकि फेज-प्रथम के पार्क संख्या-3, 4 व 6 में एकत्रित न होकर उत्प्रवाह ड्रेनेज सिस्टम निस्तारित हो सके।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज-प्रथम में स्थित डाईग एवं ब्लीचिंग उत्प्रवाह का सम्बन्ध है, अवगत कराना है कि औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी राड, फज-प्रथन मे में आवन्टित भूखण्डों पर स्थापित इकाईयों का आवन्टन इसी शर्त पर किया जाता है कि उ0प्र0 प्र बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों एवं उत्प्रवाह की स्वीकृत मात्रा के अनुसार ही इकाईयां उत्पादन का का ऐसा ना होने की दशा में उनके विरुद्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी के समय कुछ स्थानों पर इकाईयों का उत्प्रवाह काफी गहरे/काले रंग का एवं गन्धयुक्त पाया गया,

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्रतीत होता है कि समस्त कतिपय इकाईयों द्वारा किया जा रहा उत्प्रवाह का शोधन कदाचित मानकों के अनु नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड, फेज–प्रथम की सीमा पर स्थित ग्राम–ग खिचरा का वेस्ट वॉटर औद्योगिक क्षेत्र में ना छोड़ने हेतु भी प्रयास किया जा रहा है।

भवदीय,

/

(नीरज खरे)
अधिशासी अभियन्ता

संदर्भ संख्या 868(iv) /एसआईडीसी/ईई/सी0डी0–II/

दिनांक : 31/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महा प्रबन्धक (अभियन्त्रण), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
3. श्री एस0आर0 सचान, पर्यावरण सलाहकार, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर को उनके द्वारा दि 28.12.2018 को किये गये स्थल निरीक्षण के कम में।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या–8441/एसआईडीसी/आर दिनांक 19.01.2019 एवं उनके कार्यालय के प्रतिनिधि सहित दिनांक 28.12.2018 को पर्यावरण सलाहका साथ हुये संयुक्त निरीक्षण के समय नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रदूषणकारी इकाईयों के सम्बन्ध में अ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ANNEXURE -5

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3111/0 ... 938/19

दिनांक 23-8-19

सेवा मे,

मै0 गिरधर पोसेसर,
जी–111, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–1, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में क्षेत्र में संचालित उधोगो द्वारा र्प्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्रांक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3109/ 0 ... 938/18/19

दिनांक 22-8-19

सेवा मे,

मै0 स्कैरेड निट प्रोसेसर्स,
सी–75, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–3, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में क्षेत्र मे संचालित उधोगो द्वारा र्प्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्रांक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3110/0 9 M 938/18/17 दिनांक 29-8-19

सेवा मे,

मै0 मातेश्वरी, इन्डस्ट्रीज,
जी–30, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–1, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में क्षेत्र मे संचालित उधोगो द्वारा र्प्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्रांक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गंगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3108/ 0 ए न0 938/18/19   दिनांक 22-8-19

सेवा मे,

मै0 पूजा प्रोसेसर्स,
बी–25, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–1, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मे क्षेत्र मे संचालित उधोगो द्वारा र्प्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्राक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन+0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3107/ओ.ए.न.938/18/19 दिनांक 22-8-19

सेवा मे,

मै0 सुभनन्दा टैक्सटाईल मिल्स प्रा0लि0,
5/37, 5/38, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–3, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र मे खाली प्लाटों, पार्को मे जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में क्षेत्र मे संचालित उधोगो द्वारा र्प्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्रांक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गंगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3112/ 0 9 M 938/18/19

सेवा मे,   दिनांक 22-8-19

मै0 कार्तिकेय प्रोसेसर,
बी–8, 9, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–1, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में क्षेत्र में संचालित उधोगो द्वारा पर्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्राक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गंगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3113/ OAM 938/18/19 दिनांक 23-8-19

सेवा मे,

मै0 भगवती टैक्सटाईस,
बी–70, एम.जी.रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–1, हापुड।

विषयः उधोग मे उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के सुचारू संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2019 को आपके उधोग का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था व निरीक्षण के समय आपके उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 के समुचित संचालन हेतु निर्देश दिये गये थे।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उधोगों द्वारा उत्प्रवाह का निरस्तारण अनुमन्य क्षमता से अधिक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खाली प्लाटों, पार्को में जल भराव/रंगीन उत्प्रवाह भर जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी शिकायत प्रेषित की गयी है व मा0 अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0–938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मे क्षेत्र में संचालित उधोगो द्वारा पर्यावरणीय अधिनियम के अनुपालन एवं इनके सदृढ अनुश्रवण की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्राक बी–190019/एन0जी0आर0बी0ए0/सी0पी0सी0बी0/2011–12 दिनांक 21.06.2016 द्वारा गगा बेसिन मे संचालित समस्त टैक्सटाईल डाईग/ब्लीचिंग उधोगो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः उधोग में स्थापित ई0टी0पी0 एवं उधोग से जनित उत्प्रवाह की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उधोग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निकासी बिन्दु पर आनलाईन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम तथा फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय में 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

ANNEXURE – 06

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
INS/2, SECTOR-16, VASUNDHARA,
GHAZIABAD

WATER ANALYSIS REPORT OF DRAIN

1. Name of Drain : Phase-3 Drain
2. Sampling point : Phase-3 M.G Road Hapur
3. Sample Collected by : Shri B.K Singh (AEE) & Ranjeet Singh (JE)
4. Date of Collection : 22.08.19

S.No	Parameter	Phase-3 Drain	Standard
1.	Colour	Turbid	Colourless
2.	Odour	Faint	Odourless
3.	pH	6.71	5.5-9.0
4.	B.O.D.(mg/l)	67.0	30 mg/l
5.	C.O.D.(mg/l)	238.0	250 mg/l
6.	T.S.S. (mg/l)	213.0	100mg/l
7.	T.D.S.(mg/l)	1439.0	-
8.	T.S. (mg/l)	1652.0	-

02/09/19
S.A.

A.S.O.

2/9/19
R.O.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-07

क्षेत्रीय कार्यालय–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3292/08 ... 938/18/19 दिनांक : 2-9-19

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सी– 2 महालक्ष्मी माल चतुर्थ तल,
आर0 डी0 सी0 राज नगर,
गाजियाबाद।

विषय:– माननीय एन0 जी0 टी0 में योजित ओ0 ए0 नं0 938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 में दिनांक 26-04-2019 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय एन0 जी0 टी0 में योजित ओ0 ए0 नं0 938/2018 विपिन गोयल बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 में दिनांक 26-04-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय उपजिलाधिकारी धौलाना के पत्र सख्या 3057/एस0टी0 एस0 डी0एम0 /2019 दिनाक 21-08-2019 के कम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आपके कार्यालय के श्री श्याम गोपाल, डिप्टी मैनेजर एवं श्री सतीश चौधरी असिस्टेन्ट मैनेजर ,सिविल ,उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ सयुक्त रूप से एम0 जी0 रोड फेस-3 का सर्वेक्षण दिनाक 22-08-2019 को किया गया, सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्षेत्र के जल निकासी हेतु फेस -3 के आउटलेट पर स्थित पुलिया पर मिटटी डालकर बन्द कर दिया गया है, पुलिया के समीप उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण कराया गया, जिसकी प्रति पत्र के साथ सलग्न है। विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है के औद्योगिक क्षेत्र मे घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र से जनित हो रहे उत्प्रवाह में घरेलू उत्प्रवाह भी मिश्रित हो रहा है।

अग्रेतर इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 का सर्वेक्षण दिनाक 22-08-2019 को किया गया है, निरीक्षण के समय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खाली प्लाट एवं पार्को में जल भराव की स्थिति यथावथ पायी गयी। आप अवगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशो में दोषी उघोगो/संस्थो के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रश्मन अधिरोपित की जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित 05 दोषी प्रदूषणकारी उघोगो के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षर्तिपूर्ति प्रश्मन अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गयी है।

नवीनतम निरीक्षण एवं क्षेत्र में जल भराव की स्थिति से स्पष्ट है कि मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में नालो के रख रखाव/निर्माण/मरम्मत का कार्य नही किया गया है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र के नालो की रखाव/निर्माण/मरम्मत का कार्य अविलम्ब सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें अन्यथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशो एवं पर्यावरणीय अधिनियमों में धारित धाराओं की अवहेना के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रश्मन अधिरोपित किये जाने एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की सस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी धौलाना जनपद हापुड को उनके पत्र संख्या 3057/ एस0टी0 एस0 डी0एम0 /2019 दिनांक 21-08-2019के सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner